राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश
8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्र./एन.एच.एम./शिशु स्वास्थ्य/2015/7059 भोपाल, दिनांक 3/07/2015

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त सिविल सर्जन **सह** मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
मध्यप्रदेश।

विषयः–सभी नवजात शिशुओं को इंजेक्शन विटामिन–K_1 संबंधित दिशा–निर्देश।

–00–

(शिशु स्वास्थ्य वर्ष 2015–16 – परिपत्र क्रमांक – 10)

विषयांतर्गत लेख है कि विटामिन K_1 जन्म के पश्चात् प्रत्येक नवजात शिशुओं को दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि विटामिन K_1 की कमी के कारण नवजात शिशु में रक्तस्त्राव होने की संभावना बनी रहती है तथा नवजात शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। उक्त जटिलता से बचाव हेतु समस्त नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद इंजेक्शन विटामिन K_1 देने का प्रावधान किया गया है। इंजेक्शन विटामिन K_1 भारत सरकार द्वारा निम्न बिन्दुओं की अनुशंसा की गई है।

- शासकीय एवं अशासकीय (Including Medical Colleges & Tertiary Care Centres) संस्थाओं में जन्मे सभी नवजात शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद देना सुनिश्चित किया जाये।
- समस्त शासकीय, अशासकीय मेडिकल कॉलेज टेरिटेरी संस्था पर जन्मे सभी नवजात शिशुओं की विटामिन K_1 Prophylaxis दिया जाना अनिवार्य है।
- Dose -1000 ग्राम से अधिक वजन के नवजात शिशुओ को 1.0 mg intramuscular तथा 1000 ग्राम से कम वज़न के नवजात शिशुओं को 0.5 mg. intramuscular इंजेक्शन विटामिन दिया जाये।
- Site - जांघ के उपरी एवं बाहरी (antero-lateral quadriceps muscle) हिस्से में 26 G निडिल द्वारा 1 ml AD Syringe से यह इन्जेक्शन दिया जाना है।
- विटामिन K_1 प्रदायित नवजात शिशु की रिपोर्ट न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर रजिस्टर में संधारित कर राज्य स्तर को हर माह की पाँच तारीख तक प्रेषित करे।

संलग्न – इण्डेन्ट

(फैज़ अहमद किदवई)
मिशन संचालक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

पृ.क्र./आर.सी.एच/शिशु स्वास्थ्य/2015/7060 भोपाल, दिनांकः 03/07/2015

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
3. संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्थानीय कार्यालय, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
5. समस्त संभागीय कार्यक्रम प्रबंधक, मध्यप्रदेश।
6. संभागीय शिशु स्वास्थ्य एवं एफ.बी.एन.सी. समन्वयक, संभाग–भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, मध्यप्रदेश।
7. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, आर.सी.एच./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
8. समस्त विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
9. समस्त विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक, मध्यप्रदेश।

मिशन संचालक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

Madhya Pradesh Public Health Services Corporation Limited					
Tender No. 1 - Final Approved Rate list of 58 Items					
S. No.	Drug Code	Name of Drug	Unit	Approved L1 Rate	L1 bidders Name
53	MC547	Domperidone Suspension (contains Domperidone IP 5mg/5ml)	30 ml Bottle	6.67	Zest Pharma
54	MC553	Phytonadione Inj USP (Vitamin K1) 1mg/0.5ml	0.5 Amp	7.08	Gran Drugs And Pharma Pvt. Ltd
55	MC555	Metoclopramide [illegible]	[illegible]	14.7	Modern Laboratories
56	MC574	[illegible]	Vial	[illegible]	Nyxon Life Sciences Pvt. Ltd
57	MC580	Chorionic Gonadotropin Injection I.P. 5000 IU	1ml Amp	205	Bharat Serums And Vaccines Ltd
58	MC585	Hepatitis B Immunoglobulin 200 IU vial	Vial	3884	Trigenesis Life Sciences Pvt. Ltd

Note 1	All bidders are required to submit the aggrements within 15 days from uploading of this list
Note 2	ALL L2 & L3 BIDDERS CONSENT IF INTERESTED TO MATCH THE L1 RATES ARE REQUESTED TO GIVE THEIR CONSENT FOR MATCHING THE L1 RATES

नवजात शिशुओं में इन्जेक्शन विटामिन–K1 का उपयोग

किसे दिया जा सकता है –

- सभी स्तर की (निजी व सरकारी) स्वास्थ्य सुविधाओं में जन्में सभी नवजातों को।

इन्जेक्शन लगाने का तरीका

- जांघ के बाहरी किनारे पर इंट्रामस्कुलर

इंजेक्शन कब दिया जाना है

- जन्म के तुरंत बाद, बच्चे को माँ से सटाकर रखना और स्तनपान शुरू करवाना
- जन्म के बाद 24 घण्टे से ज्यादा देर न हो

कितनी खुराक दी जानी है

- जन्म के समय एक किलो या इससे ज्यादा वजन होने पर : 1 एमजी
- जन्म के समय एक किलो से कम होने पर : 0.5 एमजी

कौन लगा सकता है ?

- मेडिकल आफीसर, स्टाफ नर्स या ए. एन.एम.

आवश्यक व्यवस्थायें

- 26 नंबर की नीडिल और 1 एम.एल सीरिंज

भण्डारण

- कमरे के तापमान पर सूखे स्थान में

खुराक की तैयारी

- विटामिन–K1 इन्जेक्शन (फाईटोनाडिओन)
  अ. 1 मिली ग्राम /1 एम.एल.
  ब. 1 मिली ग्राम /0.5 एम.एल.

कहाँ दिया जायेगा

- प्रसव कक्ष में
- यदि प्रसव कक्ष में छूट जाये तो प्रसव पश्चात् वार्ड में
- रेफरल की स्थिति में इन्जेक्शन एस.एन.सी.यू./ एन.बी.एस.यू. में दिया जाना चाहिए

रिकॉर्ड रखना

- प्रसव कक्ष रजिस्टर में
- केस शीट में
- रेफरल स्लिप में
- नवजात की डिस्चार्ज टिकट में